फोन नं० 0612– 2219116(का०)
फैक्स नं०– 0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

बाढ़, सुखाड़ एवं अग्निकाण्ड 2015 से सम्बन्धित सहाय्य कार्यो के सम्यकरूपेण संचालन हेतु 10,000 (दस हजार) पोलीथीन शीट्स का क्रय करना आवश्यक है। पूर्व में क्रय किये गये 5,000.00 (पाँच हजार) पोलीथील शीट्स में 4,000 (चार हजार) पोलीथील शीट्स विशेष सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 11/ई0ओ0 सी0/आ0प्र0 दिनांक 03.08.2014 द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में जिलाधिकारी, सुपौल को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त के आलोक में इस वर्ष एतदर्थ प्राप्त निविदाओं में दो निविदाकर्त्ता का दर बराबर होने के कारण दोनों फर्म यथा मेसर्स ईस्ट हुगली, पॉलीप्लास्ट प्रा0 लि0 सुपर मार्केट, चिनसुराह, स्टेशन रोड, हुगली (पश्चिम बंगाल) एवं बैग पॉली इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, अलीपुर, खालसा रोड, कर्नाल, पानीपत (हरियाणा) को निम्नांकित विशिष्टियों एवं शर्तों के अध्याधीन इनके द्वारा दिये गये नमूना के अनुरूप पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है:–

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का विवरण	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	निर्धारित दर
01	02	03	04	05	06	07
01	ईस्ट हुगली पोली प्लास्ट, प्रा0 लि0 (DGS&D निबंधन संख्य I–KOL/S-5073/13/06644 बिहार वैट टिन नं0–10112093049, पैन नं0–AACCE2946G)	Low density polyethylene Black Sheets of 250 Micro meter	DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का (ISI 2508/84 के अनुसार	4×5 मीटर	5,000 (पाँच हजार) शीट्स	152.00 (एक सौ बावन) रूपये प्रति किलोग्राम सभी कर, अधीभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित
02	बैग पॉली इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, अलीपुर, खालसा रोड, कर्नाल, पानीपत (हरियाणा) निबंधन सं0–CINNO.U74899DL1994PTC059002	Low density polyethylene Black Sheets of 250 Micro meter	DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का (ISI 2508/84 के अनुसार	4×5 मीटर	5,000 (पाँच हजार) शीट्स	152.00 (एक सौ बावन) रूपये प्रति किलोग्राम सभी कर, अधीभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

1. आपूर्तिकर्त्ता को पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति उपर दिये गये विवरण के आलोक में DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. आपूरित पोलीथीन शीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण–पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर जिला आपदा प्रबन्धन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना करना होगा। विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612– 2219116(का०)
फैक्स नं०– 0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

5. आपूर्ति की जाने वाली पोलीथीन की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता, राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें महाप्रबन्धन जिला उद्योग केन्द्र, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना तथा अंचलाधिकारी, पटना सदर, गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होंगें।
6. आपूर्ति की गयी सामग्री का वजन सत्यापन हेतु निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति–01) निरीक्षक माप–तौल, पटना (अति–02), निरीक्षक माप–तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक माप–तौल, दानापुर (अति) समिति के सदस्य होंगें।
7. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
8. अपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

ह0/–
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 301 /आ०प्र० दिनांक 03/03/2015

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता फर्म को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति–01) निरीक्षक माप–तौल, पटना (अति–02), निरीक्षक माप–तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक माप–तौल, दानापुर (अति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पटना/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र पटना/जिला लेखा पदाधिकारी, पटना/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर तथा अंचलाधिकारी, पटना सदर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– ADG (Q.A), O/O DGS&D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेव साईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।